न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्या 19/2010

मोहन सिंह पुत्र जंगसिंह, जाति कुम्हार सिख, आयु—46 वर्ष निवासी किकरवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 04.05.2010 बअनवानी राज0 राज्य बनाम मोहनसिंह प्रकरण संख्या 23/10 में न्यायालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत।

उपस्थितः— 1 श्री छगन लाल सिडाना वकील अपीलान्ट
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

निर्णय दिनांक 14.03.2017

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने ग्राम किकरवाली में उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया हुआ था। प्रार्थी पर यह आरोप लगाया गया कि अपीलांट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त मिट्टी तेल की कालाबाजारी कर रहा है, जिस पर नायब तहसीलदार संगरिया से जांच करवाई गई एवं जांच में यह पाया गया कि डीलर बिना अवकाश के गैर हाजिर पाया गया। अपीलांट का लड़का दुकान पर उपस्थित मिला एवं मिट्टी तेल का भौतिक सत्यापन्न किए जाने पर 196 लीटर मिट्टी तैल कम पाया गया। जिस पर अपीलांट को नोटिस प्रेषित किया गया। अपीलांट ने दिनांक 4.5.2010 को विचाराधीन न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया कि

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

मिट्टी तेल खुले ड्रमों में रखा हुआ था, जिसका कोई वस्तुतः एवं भौतिक सत्यापन्न नहीं किया गया। मात्र क्यास के आधार पर 196 लीटर मिट्टी तेल कम होना अंकित कर दिया। वरवक्त निरीक्षण गांव में जानकार व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण अपीलांट उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ग्राम किकरवाली के श्मशान घाट पर गया हुआ था लेकिन विचारण न्यायालय ने इन विधिक बिन्दुओं का विवेचन किए बिना ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किए जाने के आदेश दिये, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की तलबी की गई।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट किकरवाली में अपने जानकार व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके अंतिम संस्कार में श्मशान घाट गया हुआ था जिसके कारण वह विचारण न्यायालय में सूचना नहीं दे सका। जांचकर्ता द्वारा वरवक्त व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन्न नहीं किया गया और न ही कोई नाप आदि किया गया। सिर्फ क्यास के आधार पर ही 196 लीटर मिट्टी तेल कम होना बताया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब नोटिस भी पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार संगरिया की जांच रिपोर्ट को आधार मानकर मनमाने रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र को बहाल करने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट बिना अवकाश स्वीकृत करवाये दुकान पर गैर हाजिर मिला और मौके पर अपीलांट का लड़का कार्य करते हुए पाया गया। केरोसीन की शिकायत होने पर जांचकर्ता द्वारा ग्राम के मौतबिरान के रूबरू अपीलांट की उचित मूल्य दुकान पर भौतिक सत्यापन्न करने पर 196 लीटर केरोसीन कम पाया गया। अपीलांट द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरोसीन के वितरण में गंभीर अनियमितताऐं की गई है। अपीलांट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंधन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.05.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलांट के वकील ने दोराने बहस यह कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जबकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.05.2010 को जवाब पेश किया जाना पाया गया। अपीलांट की उचित मूल्य दुकान की जांच नायब तहसीलदार संगरिया द्वारा की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार संगरिया की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश में किसी

प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 14.3.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़